

IV 05/2014

1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 271606

JAN 2014

श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट

रामपुर बन्तारा, नन्दगंज, गाजीपुर

न्यास विलेख

यह न्यास आज दिनांक 23/01/2014 को सैदपुर गाजीपुर में श्री सच्चे लाल पुत्र बाबूनन्दन निः0 ग्राम व पोः-नैसारा, परगना व तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रूपया 5000/- (पाँच हजार रूप०) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान उनकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ावे ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया 5000/- (पाँच हजार रूप०) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकरण कार्यालय निः0 ग्राम व पोः-नैसारा, परगना व तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर उ०प्र० रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय निः0 ग्राम व पोः-नैसारा, परगना व तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर उ०प्र० होगा अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यास कर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।  
श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट

(इच्छियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य- ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एक्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करणों, नामकरण विकास, सम्यक् आबद्ध, प्रबंधन संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिवर्द्धों विभागों, प्रतिष्ठानों संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से मांग समझ, आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित गतिविधियों का संचालन करना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु धरंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोक कर जल सुखा एवं नामी संरक्षण करना।

प्रबंधक

श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर बन्तारा, नन्दगंज-गाजीपुर

सचिव



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

## INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714219

- 26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित कर सकना तथा प्राप्ति करना।
- 27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
- 28. उपरोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उत्तर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार का सकना।
- 30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
- 31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
- 32. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विरोधाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार में अन्य को प्रदान कर सकना।
- 33. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
- 34. ट्रस्ट जन सामान्य के वित्तीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवा/वस्तुयें लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड्डका, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
- 35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
- 36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
- 37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना। कृषि मण्डी व सब्जी मण्डी का निर्माण व संचालन करना।
- 38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना, फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
- 39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश एवं देश पर पदाधिकारियों का ध्यान करना एवं अधिकार देना।
- 40. दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
- 41. घरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाना।
- 42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टल का निर्माण करना।
- 43. सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध करना।
- 44. स्वास्थ्य विभाग में तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित बातों का प्रचार प्रसार करना, बाल स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य कैंम्पों, शिशुओं का आयोजन, एड्स कैंसर, नेत्र शिविर, नेत्र चिकित्सालय, आपरेशन गृह परिवार के लिये टीकाकरण मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, मातृत्व विकास, बाल विकास, बाल श्रम उन्मूलन एवं पुष्ठाहार, हाटकुकुड में सहभागिता करना। जनसंख्या नियन्त्रण परामर्श केन्द्र संचालन करना, चिकित्सालय संचालन करना।
- 2. कस्टमरेशन करना, मकान खरीद फरोख्त करना (प्रापर्टी डीलिंग) सड़क निर्माण, बंधी तालाब, ईन्ध पंप देना, विधायक निधि, सांसद निधि, प्रदान निधि तथा अन्य प्रकार के जनोपयोगी कार्यक्रमों का संचालन व्यवस्था करना, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी एजेंसियों पर कार्यों का संचालन एवं ठेकेदारी करना। सभी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री व पैकिंग करना, रिसर्च सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।

प्रबन्धक  
श्री. व. सुन्दर जैन

राज्य सचिव

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714218

## प्रारम्भिक उपबंध-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से 23/01/2014 जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस मैनेजिंग ट्रस्ट का अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री सध्वे लाल द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो श्री सध्वे लाल की मृत्यु के पश्चात उनके सबसे बड़े पुत्र या पति इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जघ चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

## मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का फर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई अतुष्टि होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो यह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं करेगा।

7. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर अपने विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

## बोर्ड आफ ट्रस्टीज-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

प्रबन्धक

श्री वासुदेव जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर वस्तरा, नन्दगंज-गाजीपुर

21/11/14



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714217

13

अ. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।  
ब. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिसको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अ. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता उस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।

**अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ-**

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

2. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व पहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगना है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अपनी आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति को सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है व राय दे सकता है।

**1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार-**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में भी किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बंधित पक्षों को अंतिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

**2. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति-**

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

1. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते सुविधाएँ, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

प्रबन्धक

श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर बन्सरा, मन्दागंज-गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश का निवृत्त

RADESH

17AC 762220

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने या देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

1. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है। तथा उक्त पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकेगा।

4. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2. ट्रस्ट के सभी कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना एवं रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

6. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये विषयों पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परंतु उपाध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है।

8. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अंतिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है, ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उसके विरुद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकना।

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी/विभागों, केन्द्रों, संस्थाओं, उपसंस्थाओं का संचालन एवं उसके संयोजकों, निदेशकों, पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्ति कर सकना।

6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना।

17/11/07

प्रधान





**उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH**

7. प्रचार, प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना एवं जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

8. सचिव की अनुपस्थिति में प्रशासनिक एवं निर्णायक अधिकार प्राप्त करना।

9. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना।

10. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

7. बैंक एकाउण्ट का संचालन करना-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

8. विधिक कार्यवाही-

1. यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

9. सम्पत्ति सम्बंधी-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट अध्यक्ष की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेख विलेख बनाने के निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय कर सकता है रهن रख सकता है किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

6. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक संस्था कम्पनी में किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति भाड़ा क्रय, अनुज्ञापित बंधक भरित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है अथवा दे सकता है।

10. विरोध-

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परंतु यदि वह इस डी.डी.आफ ट्रस्ट श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करते हैं तो यह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

2. अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डी.डी.के किसी/किन्हीं प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्रावधान/प्रावधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बंध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अंतिम होगी। श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सम्मिहित श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली अधिनियमित है।

Handwritten signature and a circular stamp at the bottom of the page.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उसमें घोषित आत्मपत एव तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर ध्वजार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।

25AA 101335

साक्षीगण-


1 नाम- पवन कुमार मा० 51० हीरामा०

पता- देवपुर पो. नौसारा म० त० सैदपुर  
जिला गाजीपुर

2 नाम- मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री प्रेमचंद नारायण सिंह  
पता- 25 मि. निबरामपुर पोस्ट सिंगारपुर जिला गाजीपुर

दिनांक- 24/11/2014

सन्तुल्य



(संस्थापक/अध्यक्ष)

मसविदाकर्ता

ज-हस्ताक्षर 105

नन्दकू सिंह  
(एडवोकेट)

रजि० नं० 5567/90

प्रबन्धक

श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
शामपुर चन्नेरा, नन्दगाँव-गाजीपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 514521

श्री बाबूनन्दन जनसेवा ट्रस्ट रामपुर बन्तरा, गाजीपुर में सम्मिलित बोर्ड आफ ट्रस्टी के नाम /पद व पते -

क्रम	नाम	पदनाम	व्यवसाय	पता
1	श्री सच्चेलाल	अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - नैसारा, गाजीपुर
2	श्री महेन्द्र यादव	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम - बेलसडी पोस्ट- बेलसडी, गाजीपुर
3	श्री शिवमूरत	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम- जमुआंव, पोस्ट- बड़सरा, गाजीपुर
4	श्री ओमप्रकाश	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - सहेड़ी, गाजीपुर
5	श्री धर्मेन्द्र	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम- जैतपुरा, पोस्ट- जंजीरपुर, गाजीपुर
6	श्री अच्छेलाल	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - नैसारा, गाजीपुर
7	श्रीमती विद्या देवी	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम व पोस्ट- सहेड़ी, गाजीपुर

प्रबन्धक






श्री बाबूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर बन्तरा, नन्दगंज, गाजीपुर

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के एम्पट रिन्ड -






नाम निष्पादनकर्ता / चिक्रेता / ब्रैता

दाहिने हाथ

प्रथम

				
अंगुल	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	चिटा

बायें हाथ का -


				
अंगुल	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	चिटा

हस्ताक्षर -


सिद्ध चक्र

नाम निष्पादनकर्ता / चिक्रेता / ब्रैता

दाहिने हाथ

				
अंगुल	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	चिटा

बायें हाथ का -

				
अंगुल	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	चिटा

हस्ताक्षर -

प्रबन्धक

श्री बाबुमन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर कन्दा, नन्दमज-गाजीपुर